कार्यालय पुलिस नियंत्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर

प्रेस–नोट
(दिनांक 07.05.2024)
आयुक्तालय जोधपुर

श्री राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 07.05.2024 को 12.00 एएम से 5.00 एएम तक रात्रि कालीन गश्त के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों का 185 एमवी एक्ट में चालान कार्यवाही अभियान चलाया गया।

रात्रि कालिन गश्त में लगने वाले पुलिस बल को जनरल गश्त अधिकारी श्री दुर्गाराम अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात के द्वारा सर्कल अधिकारीयों एवं जाब्ते को ब्रीफ कर रवाना किया गया कि गश्त के दौरान अपने–अपने क्षेत्र में शराब की दुकानों को चैक करना व अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने तथा संदिग्ध व्यक्तिओ व वाहनों को चेक करने, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 185 एमवी एक्ट में अधिक से अधिक कार्यवाही करना, देर रात तक खुली रहने वाले दुकानों, ढाबो, चाय की थड़ी, पान की दुकानों को आदि तुरंत बंद करवाना सुनिश्चित करें।

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में दौराने रात्रि कालीन गश्त में वाहनों की चेकिंग में काला शिशा के 4 एवं बिना नंबरी वाहन के 4, बंपर लगे वाहनों के विरुद्ध 5 एमवी एक्ट में कार्यवाही एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 185 एक्ट में 13 चालान कार्यवाही की गई। यातायात पुलिस द्वारा 14 वाहन चालकों के विरुद्ध शराब पीकर वाहन चलाने पर 185 एमवी एक्ट की कार्यवाही की गई। इस प्रकार कुल 40 एमवी एक्ट के चालान कार्यवाही के तहत 27 वाहन चालकों के विरुद्ध 185 एमवी एक्ट में शराब पीकर वाहन चलाने व 13 वाहनों का एमवी एक्ट में चालान कार्यवाही की गई।

रात्रिकालीन गश्त के दौरान रूट मार्च निकाल कर देर रात तक खुली रहने वाली दुकानों ढाबो, चाय की थड़ी, पान की दुकानों को आदि तुरंत बंद करवाया गया।

आमजन से आग्रह है की आपके क्षेत्र में गैर कानूनी गतिविधि या अवैध शराब बिक्री की जानकारी उपलब्ध होने पर तुरंत पुलिस नियंत्रण का 100/112 पर सूचित कर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभावे।

प्रभारी

पुलिस नियंत्रण कक्ष,
आयुक्तालय जोधपुर।

Shot on Y15
Vivo AI camera